कार्यवृत्त
शनिवार, 20 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1943
(दिनांक : 11 दिसम्बर, 2021)

खण्ड–61

अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ती महंगाई के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सभी सूचनाएं स्वीकार की गयी। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री देशराज कर्णवाल, ''चमार साहब''	इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
2.	श्री खजान दास	लो0नि0वि0 के द्वारा सड़कों पर किये जाने वाले सुधारीकरण कार्य के दौरान सड़क के मध्य पड़ने वाले मेन होल चैम्बरों को उठाये जाने सम्बन्धी।
3.	श्री केदार सिंह रावत	यमुनोत्री, डीडीहाट, कोटद्वार एवं रानीखेत जिलों के निर्माण के सम्बन्ध में।
4.	श्री आदेश सिंह चौहान	विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत नादेही शुगर मिल पावर प्लांट के सम्बन्ध में।
5.	श्री राजकुमार ठुकराल	रूद्रपुर में यातायातनगर (ट्रांसपोर्टनगर) की स्थापना के सन्दर्भ में।
6.	श्री मनोज रावत	उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अंतर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों में विगत कई वर्षों से तैनात कार्मिकों को पदों के विलय किये जाने के सम्बन्ध में।
7.	श्री करन माहरा	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह ''क'' असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आवेदन हेतु कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
8.	श्रीमती ममता राकेश	विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना एवं ड्रेनेज प्लान को तत्काल लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
9.	श्री हरीश सिंह	विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अंतर्गत मदकोट बाजार में सड़क डामरीकरण किये जाने एवं अनुरक्षण, मरम्मत कार्य हेतु बी0आर0ओ0 को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
10.	श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल	प्रदेश में सरकारी राशन विक्रेताओं के ढुलाई के भुगतान के सम्बन्ध में।
11.	श्री फुरकान अहमद	पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार में गंगनहर के पुल के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

12.	श्री राजेश शुक्ला	विधान सभा क्षेत्र किच्छा के ग्राम नजीमाबाद को राजस्व ग्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में।
13.	श्री राम सिंह कैड़ा	भीमताल विधान सभा के अन्तर्गत नौकुचियाताल, भीमताल आई0टी0आई0 संस्थान में 2021–22 सत्र के दौरान नये एडमिशन ना होने के सन्दर्भ में।
14.	श्री उमेश शर्मा काऊ	जनपद देहरादून के डोईवाला विकासखण्ड के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार डैम के डिजाइन में बिना किसी कारण अनावश्यक परिवर्तन किये जाने से राजस्व को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।
15.	श्री महेश जीना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक ट्रेड न होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
16.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर के लॉ कॉलेज एवं हल्दापानी के नीचे हो रहे भू–धंसाव पर ट्रीटमैन्ट की कार्यवाही न होने से स्थानीय लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
17.	श्रीमती मुन्नी देवी शाह	विधान सभा थराली के अन्तर्गत विगत 17 से 19 सितम्बर को आयी अतिवृष्टि से हुए परिसम्पत्तियों से हुए नुकसान/क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु अवस्थापना विकास कार्यों मे देरी होने से उत्पन्न असंतोष की सूचना।
18.	श्री पूरन सिंह फर्त्याल	नन्दा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
19.	काजी निजामुद्दीन	राज्य में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई करने वाले छात्रों की फीस के सम्बन्ध में।
20.	श्री हरबंश कपूर	संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में।
21.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	दुर्गापुरी, पम्पापुरी व कौशल्यापुरी के कालोनियों के नियमितीकरण नहीं होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
22.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधान सभा के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 881/2021 में कार्य के वर्तमान तक संचालित न होने से क्षेत्रवासियों में व्याप्त असन्तोष की सूचना।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2021 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, नेता प्रतिपक्ष ने नियम 65 के अन्तर्गत सरकार द्वारा सदन में दिनांक 22.12.2020 एवं दिनांक 04.03.2021 को बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के विरोधाभास होने के सम्बन्ध में गलत आंकडे एवं तथ्य प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव किया।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रकरण का परीक्षण करा लेने की व्यवस्था दी गयी।

मा0 सदस्य, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री राजेश शुक्ला, श्रीमती ममता राकेश एवं श्री देशराज कर्णवाल ने उनके द्वारा पूर्व में दिये गये विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी प्रकरणों पर हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी। जिस पर घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 की बैठक में दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 (शनिवार)

विधायी कार्य।

1. उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021का अनुज्ञा से पुरःस्थापनपर विचार एवं पारण।
2. उत्तराखण्ड { (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
3. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन), विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
4. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित, विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
5. उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
6. उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
7. आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
8. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
9. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)।
10. उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

अन्य कार्यः–

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चर्चा।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विपक्ष के मा0 सदस्य वेल में आये और घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।

12 बजकर, 04 मिनट श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन 12:30 तक स्थगित किया गया।

मार्शल द्वारा सूचित किया गया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन 12:40 तक स्थगित किया है।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर, 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

12 बजकर, 56 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन 02:00 तक स्थगित किया है।

मार्शल द्वारा सूचित किया गया कि श्री अध्यक्ष ने सदन 02:20 तक स्थगित किया है।

सदन की कार्यवाही 02 बजकर, 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

विपक्ष द्वारा कोरम न पूरा होने पर सदन का बर्हिगमन किया गया।

सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मा0 सदस्य, श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गई।

श्री अध्यक्ष द्वारा अमृत महोत्सव के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये गये–

दिनांक 15 अगस्त, 2022 को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व आजादी के ''अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। ''अमृत महोत्सव'' भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले प्रारम्भ हो कर 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा। ''अमृत महोत्सव'' जनभागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आजादी का ''अमृत महोत्सव'' प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 साल और भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। 12 मार्च, 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरूआत की थी। यही पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत हुई और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को नयी ऊर्जा मिली। 12 मार्च, 2021 को नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी के ''अमृत महोत्सव'' का उद्घाटन किया गया। 12 मार्च, 2021 को ही मा0 प्रधानमंत्री द्वारा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से दांडी पदयात्रा समारोह की शुरूआत की गई। 241 मील लम्बी यह समारोह यात्रा 25 दिन पश्चात, 06 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, दांडी पहुँचकर समाप्त हुई। आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का यही रास्ता होगा।

अमृत महोत्सव पर चर्चा में निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा विचार रखे गयेः–

1. श्री केदार सिंह रावत,
2. श्री सतपाल महाराज,
3. श्री महेन्द्र भटट,
4. श्री करन माहरा,
5. श्री सुरेश राठौर,
6. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
7. श्री मदन कौशिक,
8. श्री बिशन सिंह चुफाल,
9. श्री बंशीधर भगत,
10. श्री अरविन्द पाण्डे,

11. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
12. श्री देशराज कर्णवाल,
13. श्री आदेश सिंह चौहान,

05 बजकर, 05 मिनट पर कोरम पूरा ना होने पर विपक्ष ने बर्हिगमन किया।

14. श्रीमती ममता राकेश,

05 बजकर, 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

15. श्री हरीश सिंह,
16. श्री सौरभ बहुगुणा,
17. श्री विनोद चमोली,
18. श्री रघुनाथ सिंह चौहान,
19. श्री राम सिंह कैड़ा,
20. मा0 नेता प्रतिपक्ष,
21. श्री सुबोध उनियाल,
22. मा0 संसदीय कार्यमंत्री,

श्री अध्यक्ष द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्बोधन दिया गया–

लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ।
मरते–मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ।।
नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को।
बलिदानों की पृष्ठ भूमि पर, निर्मित इस इतिहास को।।

ये हमारा सौभाग्य है समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है, एक तरह से ये प्रयास है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये प्रयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन–जन का, भारत के हर मन का पर्व बने, श्री नरेन्द्र मोदी मैं इस अवसर पर भारत की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तराखण्ड विधान सभा की ओर से हृदय की गहराईयों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस विधान सभा का पत्रम पुष्पम तोयम के रूप में यह छोटा सा प्रयास है। आशा है इस प्रयास से हमें आजादी की लड़ाई से सीख लेकर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होगी और मेरा उत्तराखण्ड विकास की नई–नई ऊंचाईयों को छूने में कामयाब होगा।

15 अगस्त, 1947 में देश आजाद हुआ और 15 अगस्त, 2022 को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व आजादी के ''अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। ''अमृत महोत्सव'' भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले प्रारम्भ होकर 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा। ''अमृत महोत्सव'' जनभागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। आजादी का ''अमृत महोत्सव'' प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 साल और भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति भी बनाई गई है। 12 मार्च, 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरूआत की थी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, जिसमें

महिलाओं ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरूआत हुई और भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को नयी ऊर्जा मिली। इसी 12 मार्च, 2021 को नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी के ''अमृत महोत्सव'' का उद्घाटन किया गया और 12 मार्च, 2021 को ही मा0 प्रधानमंत्री द्वारा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से दांडी पदयात्रा समारोह की शुरूआत की गई। 241 मील लम्बी यह समारोह यात्रा 25 दिन पश्चात, 06 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, दांडी पहुँचकर समाप्त हुई। आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का यही रास्ता होगा। आज का यह अवसर है हमारे देश की आजादी के सिपाहियों को याद करने का, आजादी की लड़ाई को याद करने का, उससे मिली सीख को याद करने का और उससे प्रदेश की खुशहाली के लिए नया रास्ता बनाने का।

सदन में आज मा0 सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के विषय में बात उठाई गई, यह चिन्ताजनक है कि इस पीठ से कई बार निर्देश जारी होने के बाद भी मा0 सदस्यों को यथोचित प्रोटोकोल प्राप्त नहीं हो रहा है। संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान दिया जाना अपेक्षित तो है ही परन्तु अपरिहार्य भी है। मैं पुनः शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देश देता हूँ कि सरकार सुनिश्चित करे कि इस सदन के प्रत्येक मा0 सदस्य के सम्मान का आदर एवं प्रोटोकाल उनसे प्रत्येक आचरण में रखा जाए। जहां तक विशेषाधिकार के लम्बित प्रकरणों का विषय है शासन उन सभी में जांच आख्या 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिन विषयों पर जांच आख्या संतोषजनक नहीं पायी जायेगी उसे विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया यह विशेषाधिकार हनन का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है, आई0डी0पी0एल0 संस्थान, कृष्णा नगर, खांड गांव मेरे स्वयं के क्षेत्र में होने के कारण मैं इन कालोनी निवासियों की कठिनाईयों से भिज्ञ हूँ और चिन्तित हूँ यहां सड़क, बिजली जैसे अनेकों विकास कार्य इस परिपेक्ष में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दृष्टिगत किये हैं, कालोनियों को नगर निगम में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए। सरकार को इस निर्देश के साथ मैं कार्य स्थगन की इस सूचना को अग्राहय करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री प्रीतम सिंह, श्री आदेश सिंह चौहान एवं श्री हरीश सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्री करन माहरा, श्री मनोज रावत तथा श्रीमती ममता राकेश को सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

कोरोना के तीसरे Variant Omicron से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

आई0डी0पी0एल0 आवासीय कालोनी को नगर निगम में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में आई आपदाओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह एवं श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। मा0 आपदा प्रबन्धन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

07 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

उत्तराखण्ड में पिछले कुछ सालों में उच्च हिमालयी बुग्यालों में उच्च न्यायालय के आदेश से कैंम्पिंग पर रोक लगी होने से उत्पन्न बेरोजगारी के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। मा0 वन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

08 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में खेलड़ी से सिकरोड़ा तक सड़क निर्माण एवं नेशनल हाईवे के अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने के साथ ही प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश के प्रत्येक जिलों में स्थापित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में हो रहे भष्ट्राचार के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य नेता प्रतिपक्ष, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा एवं श्री मनोज रावत ने अपने विचार व्यक्त किये। कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विपक्ष द्वारा सदन से बर्हिगमन किया गया।

<u>वित्तीय वर्ष 2021–2022 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–</u>

विधि एवं न्याय मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 5170 हजार (ईकावन लाख सत्तर हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–1 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 6683600 हजार (छः सौ अड़सठ करोड़ छत्तीस लाखमात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–2 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(3) वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 102800 हजार (दस करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–3 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(4) शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 2500हजार (पच्चीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–4 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(5) मुख्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रू0 1040000 हजार (एक सौ चार करोड़ मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(6) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 838000 हजार (तिरासीकरोड़ अस्सीलाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(7) ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 1046700 हजार (एक सौ चार करोड़ सड़सठलाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–7 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(8) लोक निर्माण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1500000 हजार (एक सौ पचास करोड़ मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–8 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(9) परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 138826हजार (तेरहकरोड़ अठ्ठासी लाख छब्बीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–9 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(10) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 138587 हजार (तेरहकरोड़ पचासी लाख सतासी हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(11) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 29730 हजार (दो करोड़ सतानवे लाख तीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, तथा अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड– 2, खण्ड– 1, प्रस्तावना और शीर्षक संशोधन सहित इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड– 2 से खण्ड– 5, खण्ड– 1, प्रस्तावना और शीर्षक संशोधन सहित इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

<u>प्रस्तावक का नाम</u>

1. श्री प्रीतम सिंह,
2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
4. श्री करन माहरा,
5. श्री हरीश सिंह,
6. श्रीमती ममता राकेश,
7. श्री आदेश सिंह चौहान,
8. श्री मनोज रावत,
9. श्री फुरकान अहमद।

<u>संशोधन का रूप</u>

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक,2021को इस सदन की एक प्रवर समिति केसुपुर्दकरदिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दरसदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंचायतीराज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये)

पंचायतीराज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दरसदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री प्रस्ताव ने किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम

1. श्री प्रीतम सिंह,
2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
4. श्री करन माहरा,
5. श्री हरीश सिंह,
6. श्रीमती ममता राकेश,
7. श्री आदेश सिंह चौहान,
8. श्री मनोज रावत,
9. श्री फुरकान अहमद।

संशोधन का रूप

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम

1. श्री प्रीतम सिंह,
2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
4. श्री करन माहरा,
5. श्री हरीश सिंह,
6. श्रीमती ममता राकेश,
7. श्री आदेश सिंह चौहान,
8. श्री मनोज रावत,
9. श्री फुरकान अहमद।

संशोधन का रूप

उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दरसदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :–

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र संबंधी शासनादेश का प्रचार प्रसार किया जाय।''

2. श्री आदेश सिंह चौहान– ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जसपुर में तीर्थनगर भोगपुर डैम में विगत कई वर्षों से बसे/ निवास कर रहे निवासियों के लोक हित में उक्त गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाय। ''

3. श्री करन माहरा, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के हायर सेन्टर (सुपर स्पेशलिस्ट) चिकित्सालयों एवं मेदान्ता अस्पताल, गुड़गांव को गोल्डन कार्ड के पैनल में सम्मिलित किया जाये।''

4. श्री भरत सिंह चौधरी, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि केन्द्र सरकार से मांग की जाय कि जनपद रूद्रप्रयाग के बड़मा (जमोली) में स्वीकृत तथा निर्माणधीन प्रदेश के द्वितीय सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से अनुदान राशि की मांग की जाय।''

5. श्रीमती ममता राकेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम–मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रदेश के स्थानीययुवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।''

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआॅ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुआॅ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुननिर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय''।

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय''।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय''।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे

उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय''।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय। और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।''

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।''

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न ''आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग'' का गठन कर उसका कियान्वयन किया जाय।''

<u>निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :–</u>

1.श्री मनोज रावत, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।''

2. श्री करन माहरा, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजश्री ऐग्रो शुगर मिल लिमिटेड इकबालपुर हरिद्वार पर किसानों की वर्ष 2017–18 में 40 करोड़ रूपये व 2018–19 में 104 करोड़ रूपये की बकाया है। जिस कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है और किसान अपने जरूरी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, जिस कारण किसान धरना प्रदर्शन करने को कई वर्षों से मजबूर हैं लेकिन मिल प्रबन्धन द्वारा गन्ने की बकाया दिये जाने की कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है।

अतः उत्तराखण्ड सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की भांति किसानों की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक/मालिक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तार करें और मिल की चल अचल सम्पत्ति कुर्क करते हुए नीलाम कर किसानों की बकाया दिलाई जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनुसूचित जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24–25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन–पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय''।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।''

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।''

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड–ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय ''स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग का गठन किया जाय।''

श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकास खण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, नये विकास खण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

<u>निम्नलिखित नियम–54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरणः–</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''काश्तकारों की कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाना सुनिश्चित किया जाय''

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''उत्तराखण्ड राज्य में बढती हुयी दलित घटनाओं के आलोक में जनपद चम्पावत के पाटी गांव में बारात में खाना परोसने पर श्री रमेश राम की हत्या एवं हत्या के आठ दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी न होने, पोस्टमाटम रिपोर्ट न मिलने के लोक महत्व के मुद्दे पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''जाति प्रमाण–पत्रों का वर्ष 2000 से निर्गत किये जाने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।''

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''प्रदेश में किसानों को बुआई के लिए उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में संविलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं

अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक–एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद–21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हाँसिल हो सके।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में''

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक''

विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोड़ के अन्तर्गत लो0नि0वि0 के द्वारा सड़कों पर किये जाने वाले सुधारीकरण कार्य के दौरान सड़क के मध्य में पडने वाले मेन होल चैम्बरों को उठाये जाने के सम्बन्ध में, श्री खजान दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को दी गई सूचना पर, लो0नि0वि0मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क विडौरा छमीपाथशाही गुरूद्वारा से सुनखरी कला तक के निर्माण न होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, डा0 प्रेम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को दी गई सूचना पर, ग्राम्य विकासमंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 10 बजकर 06 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2021

(मुकेश सिंघल)
सचिव।

मद संख्या–7

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 की बैठक में दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम आज की कार्यसूची, जो सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जा चुकी है की नत्थी– ''क'' के क्रम संख्या 1–64 के रूप में रखे जाने की सिफारिश की है।

नत्थी–"क''

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 की बैठक में दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 (शनिवार)

विधायी कार्य।

11. उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021का अनुज्ञा से पुरःस्थापनपर विचार एवं पारण।
12. उत्तराखण्ड { (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
13. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन), विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
14. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित, विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
15. उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
16. उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
17. आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
18. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
19. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)।
20. उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

अन्य कार्यः–

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चर्चा।

असरकारी कार्य।

1. **निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :–**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र संबंधी शासनादेश का प्रचार प्रसार किया जाय।''

2. आदेश सिंह चौहान– ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जसपुर में तीर्थनगर भोगपुर डैम में विगत कई वर्षों से बसे/ निवास कर रहे निवासियों के लोक हित में उक्त गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाय। ''

3. श्री करन माहरा, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के हायर सेन्टर (सुपर स्पेशलिस्ट) चिकित्सालयों एवं मेदान्ता अस्पताल, गुड़गांव को गोल्डन कार्ड के पैनल में सम्मिलित किया जाये।''

4. श्री भरत सिंह चौधरी, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि केन्द्र सरकार से मांग की जाय कि जनपद रूद्रप्रयाग के बड़मा (जमोली) में स्वीकृत तथा निर्माणधीन प्रदेश के द्वितीय सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से अनुदान राशि की मांग की जाय।''

5. श्रीमती ममता राकेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम–मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।''

2. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

3. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

5. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

6. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

7. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

8. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

9. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

11. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

12. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

13. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

14. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

15. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

16. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/ग्टप्–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (ठवदंपिकम त्मेपकमदजे) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

17. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय''।

18. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय''।

19. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय''।

20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

21. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय''।

22. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

23. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।''

24. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।''

25. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय। और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।''

26. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।''

27. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।''

28. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न ''आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग'' का गठन कर उसका कियान्वयन किया जाय।''

29. **<u>निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :–</u>**

1.श्री मनोज रावत, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।''

2. श्री करन माहरा, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजश्री ऐग्रें शुगर मिल लिमिटेड इकबालपुर हरिद्वार पर किसानों की वर्ष 2017–18 में 40 करोड़ रूपये व 2018–19 में 104 करोड़ रूपये की बकाया है। जिस कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है और किसान अपने जरूरी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, जिस कारण किसान धरना प्रदर्शन करने को कई वर्षों से मजबूर हैं लेकिन मिल प्रबन्धन द्वारा गन्ने की बकाया दिये जाने की कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है।

अतः उत्तराखण्ड सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की भांति किसानों की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक/मालिक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तार करें और मिल की चल अचल सम्पत्ति कुर्क करते हुए नीलाम कर किसानों की बकाया दिलाई जाय।''

30. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

32. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

34. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

35. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

38. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।''

41. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24–25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।''

42. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन–पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।''

43. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय''।

44. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।''

45. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।''

46. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।''

47. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड–ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।''

48. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय ''स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग का गठन किया जाय।''

49. श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकासखण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, नये विकासखण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

50. **<u>निम्नलिखित नियम–54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरणः–</u>**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''काश्तकारों की कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाना सुनिश्चित किया जाय''

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''उत्तराखण्ड राज्य में बढती हुयी दलित घटनाओं के आलोक में जनपद चम्पावत के पाटी गांव में बारात में खाना परोसने पर श्री रमेश राम की हत्या एवं हत्या के आठ दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी न होने, पोस्टमाटम रिपोर्ट न मिलने के लोक महत्व के मुद्दे पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''जाति प्रमाण–पत्रों का वर्ष 2000 से निर्गत किये जाने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।''

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''प्रदेश में किसानों को बुआई के लिए उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराया जाय।''

51. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

52. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

53. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

54. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

55. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में सम्बलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।''

56. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (ैब्च्) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (ज्ैच्) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (ैब्च्) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (ज्ैच्) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।''

57. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक–एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद–21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हॉसिल हो सके।''

58. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।''

59. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।''

60. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।''

61. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।''

62. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में''

63. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में''

64. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक''

उपर्युक्त असरकारी संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई। 105

उपर्युक्त सूचना पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई। 54